HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15091/2025

Dilip Nath S/o Narayan Nath, Aged About 36 Years, Resident Of Sisarama, P.s. Nai, District Udaipur.
(At Present Lodged In Central Jail Sriganganagar)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Abhishek Charan
For Respondent(s)	:	Mr. Hanuman Prajapati, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

09/03/2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना सुखेर, जिला उदयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 121/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 111(2)(बी), 111(3), 111(6), 308(2), 308(3), 308(4), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत हुआ है।

2. मैंने बहस जमानत आवेदन पत्र सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि इस मामले में चालान पेश हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त से पुलिस नाराजगी रखती हैं, जो जबरदस्ती लगातार उसके विरुद्ध केस बना रहे हैं। जमीन पुष्कर के ससुर कूकाराम की होना बताई गई है। कूकाराम से कोई एग्रीमेंट नहीं लिखाया गया है और जिस व्यक्ति के द्वारा एग्रीमेंट की लिखा–पढ़ी अपने पास रखी गई है, उस व्यक्ति नरेश पालीवाल की जमानत इस न्यायालय की समकक्ष पीठ के आदेश दिनांक 01.08.2025 के द्वारा ली जा चुकी है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः इस आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी/अभियुक्त आदतन अपराधी है। पुलिस मजबूरीवश मुस्तगीस बनकर मुकदमा दर्ज करवाती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मुलजिम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाने को तैयार नहीं हैं। संगठित अपराध का मामला

है। अतः इस आधार पर प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में कूकाराम डांगी के बयान अंतर्गत धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अवलोकन किया गया। इस मामले में चालान पेश हो चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

6. अतः बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

7. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त **दिलीप नाथ पुत्र नारायण नाथ,** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

7-GauravG/-